# अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट जि. सोलापूर

दि.- २३/११/२०२३

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७ )

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

## कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र : ६ मालमत्ता क्र : ४४८ भाग क्र : जुना वार्ड क्र जुना मालमत्ता क्र :

मालमत्ता धारक : श्री/श्रीमती/में : उपविभागीय अभियंता लघु पाटबंधारे . . संगणक क्र. : २२००००३०

बिल क्र. AKKA99487

भाडेकरूचे नाव : श्री/श्रीमती/में : भाडेकरी मालमत्तेचे वर्णन : शासकीय निवासी व अनिवासीं

भोगवटदाराचे नाव : श्री/श्रीमती/में : महाराष्ट्र शासन उपविभागीय जलधारण अधिकारी मृत व जलसाधारण उपविभाग अक्कलकोट

दुकान / इमारतीचे नाव : ./ पत्ता : ए-वन चौक, अक्कलकोट

| कराचे विवरण | संकलित कर रु. | झाड कर रू | म.शिक्षण कर रू | नौकरी/ शाश्वती कर | अग्नीशमण कर रू | जल निस्सारण कर रु. | वि.स्वच्छता कर रू | वि शिक्षण कर | वापरकर्ता शुल्क रु | थकीत वॉरंट फी | अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती | मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती | एकूण कर रू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थकीत मागणी रु | ४५२५२ | १९६८ | | | ९०६ | ३९३६ | ४८० | ४५२४ | २१६० | ३ | | २७२९९ | ८६५२८ |
| चालु मागणी रु | ११६५३ | ५०७ | | | २३३ | १०१३ | | ११६५ | १२०० | | | | १५७७१ |
| एकुण कर रु | ५६९०५ | २४७५ | | | ११३९ | ४९४९ | ४८० | ५६८९ | ३३६० | ३ | | २७२९९ | १०२२९९ |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती घेणाऱ्याची सही

---


# अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट जि. सोलापूर

दि.- २३/११/२०२३

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७ )

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

## कराचे बिल

वार्ड क्र : ६ मालमत्ता क्र : ४४८ भाग क्र : जुना वार्ड क्र जुना मालमत्ता क्र :

मालमत्ता धारक : श्री/श्रीमती/में : उपविभागीय अभियंता लघु पाटबंधारे . . संगणक क्र. : २२००००३०

बिल क्र : AKKA99487

भाडेकरूचे नाव : श्री/श्रीमती/में : भाडेकरी मालमत्तेचे वर्णन : शासकीय निवासी व अनिवासीं

भोगवटदाराचे नाव : श्री/श्रीमती/में : महाराष्ट्र शासन उपविभागीय जलधारण अधिकारी मृत व जलसाधारण उपविभाग अक्कलकोट

दुकान / इमारतीचे नाव : ./ पत्ता : ए-वन चौक, अक्कलकोट


## सन २०२३-२४ करीता मागणी

| कराचे विवरण | थकित मागणी रु | चालु मागणी रु | एकुण मागणी रु | वसुली पुस्तक क्र. पावती क्र. दिनांक : | एकुण शिल्लक मागणी रु |
|---|---|---|---|---|---|
| १) मालमत्ता कर रु | ४५२५२ | ११६५३ | ५६९०५ | | ५६९०५ |
| २) झाड कर रू | १९६८ | ५०७ | २४७५ | | २४७५ |
| ३) म.शिक्षण कर रू | | | | | |
| ४) नौकरी/ शाश्वती कर रु | | | | | |
| ५) अग्निशमण कर रू | ९०६ | २३३ | ११३९ | | ११३९ |
| ६) जल निस्सारण कर रु. | ३९३६ | १०१३ | ४९४९ | | ४९४९ |
| ७) वि. स्वच्छता कर रू | ४८० | | ४८० | | ४८० |
| ८) वि शिक्षण कर | ४५२४ | ११६५ | ५६८९ | | ५६८९ |
| ९) वापरकर्ता शुल्क रु. | २१६० | १२०० | ३३६० | | ३३६० |
| १०) थकीत वॉरंट फी. | ३ | | ३ | | ३ |
| ११) अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती रु | | | | | |
| मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती रू | २७२९९ | | २७२९९ | | २७२९९ |
| अग्रिम रक्कम रु | | | | | |
| एकूण कर रू | ८६५२८ | १५७७१ | १०२२९९ | | १०२२९९ |

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो. २ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६ ५ कलम १ ५ ० ( ३ ) अन्वये बिल दिल्यापासून १ ५ संकलित करात १ टक्का सवलत मिळेल. ३ ) मागील कर आकारणीनुसार थकबाकी शिल्लक असल्यास पुढील बिलास लागुन येईल. ४ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा, अधिनियम १९६५ मधील ( राजपत्र दि.२७/०४/२०१० असाधारण भाग ४ )मधिल सुधारीत कलम १५०अ (1) अन्वये मागणी बिलातील थकीत रकमेचा पुर्ण भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीवर डिसेंबर महिन्यानंतर २ % प्रतिमाह प्रमाणे शास्ती आकारण्यांत येईल. . ५ ) नाही तर अशी रक्कम व तो वसुल करण्याचा सर्व खर्च कलम १ ५ २ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सहिने वॉरंट ( अधिपत्र) करुन व ती जाहिर लिलावाव्दारे विकुण वसुलीस पात्र असेल ६ ) जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत मा. मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ७ ) सदर बिल बजावल्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळाली अथवा बांधकाम कायदेशीर आहे किंवा मालकीची आहे असे समजण्यात येवु नये. ८ ) ३ १ / १ ० / २ ० २ ३ पर्यंत चे वसुली नोंदीस आधिन राहुन लागु करण्यात येत आहेत. त्यानुसार त्यानंतर कराची रक्कम अदा केली असल्यास, जाईल.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण | नोव्हे-२३ | डिसे-२३ | जाने-२४ | फेब्रु-२४ | मार्च-२४ |
|---|---|---|---|---|---|
| थकीत देय रक्कम J | ८६५२८ | ८७७१३ | ८८८९७ | ९००८२ | ९१२६६ |
| प्रथम अर्धवार्षीक मागणी J | ७८८६ | ७८८६ | १६०८७ | १६४०१ | १६७१७ |
| दुसरी अर्धवार्षीक मागणी J | ७८८५ | ७८८५ | | | |
| एकुण देय रक्कम J | १०२२९९ | १०३४८४ | १०४९८४ | १०६४८३ | १०७९८३ |

कर संग्राहक
अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट

कर अधिक्षक
अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट

मुख्याधिकारी
अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट

१)ओला,सुका,घातक कचरा विलगीकरण करून घनकचरा नियम २०१६ नुसार विल्हेवाट लावण्याची प्राथमिक जबाबदारी मालमत्ता धारकाची आहे. घंटागाडीसाठी प्रत्येक मालमत्ता धारकाला स्वातंत्ररित्या शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार उपभोक्ता शुल्क बंधनकारक आहे.
2) शहर प्लॅस्टिक मुक्त करण्यासाठी शासन धोरण/ न.प ठराव नियमानुसार शास्ती टाळण्यासाठी निरबंधित प्लॅस्टिक चा वापर टाळावा.

कर भरा कटुता टाळा

ऑनलाईन मालमत्ता कराचा भरणा करण्याकरिता वेबसाईट :- Akkalkotnp.org